महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय

सी–22,सैक्टर 62, नोएडा, गौतमबुद्धनगर,– 201301

फोन न0–0120–2472704/708,फैक्स न0–2472704

पत्र सख्या –एम0टी0यू0/कुल0 का0/सम्बद्धता/2013/ 5410/26 दिनाक –31 10 2013

सेवा में,

The Director,
ITS Engineering College
Greater Noida
(C.Code-222)

विषय :–संस्था को शैक्षिक सत्र 2012–13 हेतु सम्बद्धता एवं सत्र 2013–14 हेतु सम्बद्धता–विस्तारण के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र सख्या–1382/सोलह–1–2013–13(3)/2013 टीसी दिनाक 15 05 2013 के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) एव उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (सशोधन) अधिनियम 2010 एव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पत्र सख्या F.No Northern/1-1442095242/2013/EOA, दिनाक 19 03 2013 एव महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की कार्यपरिषद् के अनुमोदन के उपरान्त निम्न पाठ्यक्रमो को उनके सम्मुख अकित प्रवेश क्षमता के साथ

M.Tech-

1. **Electronics & Communication Engineering 18 Seats**
2. **Computer Science & Engineering 18 Seats**

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012–13 हेतु सम्बद्धता एव सत्र 2013–14 हेतु सम्बद्धता–विस्तारण की स्वीकृत प्रदान की गई है –

1 सस्था व्यावसायिक एव प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध मे समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रो से लेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

2 सस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि सस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओ/विवरण मे किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के सज्ञान मे आती है तो सस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वत निरस्त समझी जाएगी।

3 सस्था से एक माह के अन्दर, सस्था मे कार्यरत शिक्षको की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जा सके।

4 सस्था द्वारा महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर को अपनी वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रो से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा सस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

5 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा मे सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वत निरस्त हो जायेगा।

6 सस्था मे पायी गयी कमियो का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2014–15 की सम्बद्धता विस्तारण की सस्तुति की जा सकेगी और तभी सस्था को प्रवेश प्रक्रिया मे सम्मिलित किया जा सकेगा।

7 बी0फार्मा पाठ्यक्रम सचालित करने वाली सस्थाए नियमत फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया एव बी0आर्क0 पाठ्यक्रम सचालित करने वाली सस्थाए नियमानुसार आर्कीटेक्चर काउन्सिल आफ इडिया से आवष्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिष्चित करे।

8 सस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण मे निर्धारित मानको के सापेक्ष कोई कमियॉ नही है, सस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9 जिन सस्थाओं की अभातशिप एव विश्वविद्यालय के मानको के सम्बन्ध मे शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जाच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित सस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।

10 प्रश्नगत सस्था द्वारा प्रवेश मे उ प्र शैक्षणिक सस्थाओ मे प्रवेश (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन मे अथवा सस्था के आकस्मिक निरीक्षण मे किसी प्रकार की कमियॉ पायी जाने/विचलन की स्थिति मे सस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

पृष्ठाकन सख्या व दिनांक : उपरोक्त्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ।
2 सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3 अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4 सम्बन्धित सस्था की पत्रावली।
5 गार्ड फाइल।

कुलसचिव